प्रेषक,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ।

सेवा में,

प्रबंधक / प्राधानाचार्य,
बीटीसी पाठ्यक्रम संचालित कर रहे
समस्त निजी शैक्षणिक संस्थान,
उ0प्र0।

पत्रांकः राशै0 / निशिसं / 17613 / 2010–11 दिनांक : 21 सितबंर, 2010

विषयः **निजी शैक्षणिक संस्थानों में छात्र / छात्राओं को छात्रावास में निवास करने के संबंध में।**

महोदय,

कतिपय जनपदों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि प्रदेश सरकार से बीटीसी पाठ्यक्रम हेतु संबद्धता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र / छात्राओं को अपने संस्थान के छात्रावास में निवास करने के लिये अनुचित दबाव बना रहे है।

उपरोक्त परिस्थिति में यह स्पष्ट करना है कि निजी संस्थानों को बीटीसी पाठ्यक्रम की संबद्धता प्रदान किये जाने के संबध में शासनादेश संख्या 85–15–11–2010 दिनांक 18.01.2010 की विवरणिका के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र / छात्राओं को छात्रावास में अनिवार्य रूप से रहने की बाध्यता नहीं है।

अतः बीटीसी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे किसी भी छात्र / छात्रों को छात्रावास में अनिवार्य रूप से रहने के लिये बाध्य न किया जाये। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। अन्यथा की दशा में संबंधित संस्था के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(अशोक गांगुली)
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।